न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम :— सीमा मीना, रा.न्या.से.
नंबरी फौजदारी प्रकरण संख्या :— 205/2006
सी.आई.एस. नंबर :— 205/2006
सी.एन.आर. नंबर :— RJDS120001852006
एफ.आई.आर. नंबर :— 44/2005, पुलिस थाना सलैमपुर
अपराध अंतर्गत धारा :— 420, 120बी भा.दं.संहिता
राजस्थान राज्य बनाम फैरम उर्फ फैरन सिंह वगैरा

भाग—प्रथम

परिवादी	राजाराम व लखन सिंह
अभियुक्तगण का नाम व पता	(1) फैरम उर्फ फैरन सिंह पुत्र धन सिंह **(कार्यवाही ड्रॉप)** (2) करतार सिंह पुत्र कमल **(निर्णय दि.20.09.14)** (3) झमौली पुत्र काडया उर्फ कारया**(निर्णय दि.20.09.14)** (4) विजय सिंह पुत्र धर्म सिंह गुर्जर**(निर्णय दि.20.09.14)** (5) अमर सिंह पुत्र सुरज्ञान गुर्जर, समस्त निवासीगण मौरोली पुलिस थाना बयाना, जिला भरतपुर
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री ओ.पी.बैनीवाल

अपराध की दिनांक	28.02.2005
एफ.आई.आर. की दिनांक	02.04.2005
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	04.09.2006
आरोप सुनाए जाने की दिनांक	16.04.2026
साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	23.04.2026
बहस अंतिम की दिनांक	22.06.2026
निर्णय दिनांक	22.06.2026
दण्डादेश की दिनांक	निल

भाग—द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ—अभियोजन गवाहों की सूची

क्रमांक	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार
पी.ड.01	समय सिंह	फर्द जप्ती, बयान धारा 161 सीआरपीसी

पी.ड.02	भागमल	फर्द जप्ती, बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.ड.03	राजाराम	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.ड.04	लखन सिंह	तहरीर रिपोर्ट, बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.ड.05	हीरालाल	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.ड.06	खेम सिंह	फर्द गिरफ्तारी
पी.ड.07	वेदप्रकाश सोनी	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.ड.08	द्वारकाप्रसाद	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.ड.09	विजय सिंह	फर्द गिरफ्तारी
पी.ड.10	विजेन्द्र	बरामदगी, नक्शा बरामदगी स्थल
पी.ड.11	भगवान सिंह	फर्द गिरफ्तारी
पी.ड.12	हरिप्रसाद	फर्द गिरफ्तारी

ब–बचाव गवाह

क्रमांक	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार
—	—	—

स–न्यायालय गवाह

क्रमांक	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार
—	—	—

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	फर्द जप्ती 2 टुकड़े पीतल की धातु
2.	प्रदर्श पी–2	फर्द जप्ती 2 टुकड़े पीतल की धातु
3.	प्रदर्श पी–3	तहरीर रिपोर्ट
4.	प्रदर्श पी–4	चाक एफआईआर
5.	प्रदर्श पी–5	फर्द गिरफ्तारी फैरम
6.	प्रदर्श पी–5(पुनः)	लाखन की बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक
7.	प्रदर्श पी–6	फर्द गिरफ्तारी करतार सिंह
8.	प्रदर्श पी–6(पुनः)	विड्रो राशि की रसीद (लाखन सिंह)
9.	प्रदर्श पी–7	फर्द बरामदगी
10.	प्रदर्श पी–8	नक्शा मौका
11.	प्रदर्श पी–9	फर्द गिरफ्तारी झमोली

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	डी.ड.1	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह समय सिंह
2	डी.ड.2	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह द्वारका
3	डी.ड.2 (पुनः)	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह भागमल 02.04.05
4	डी.ड.3	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह भागमल (तितम्बा बयान)
5	डी.ड.3 (पुनः)	तितम्बा बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह राजाराम
6	डी.ड.4	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह राजाराम
7	डी.ड.5	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह लखन सिंह

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
—	—	—

उपस्थितिः–
1– सहायक अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।
2– विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी. बैनीवाल अभियुक्त अमर सिंह की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक :–22.06.2026**

01. प्रकरण में अभियुक्तगण झमौली, विजय सिंह व करतार सिंह का दिनांक 20.09.2014 को निर्णय किया जा चुका है व अभियुक्त फैरम उर्फ फैरनसिंह का निधन हो जाने से उसके विरूद्ध दिनांक 03.09.2016 को कार्यवाही ड्रॉप की गई एवं शेष अभियुक्त अमर सिंह के विरूद्ध प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 02.04.2005 को परिवादीगण राजाराम व लखन सिंह द्वारा पुलिस थाना सलेमपुर पर टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 28.2.2005 को समय सांय 6 बजे प्रार्थी राजाराम का रिश्तेदार झमोली व इसके साथ फैरम व पूनी व फैरम का चाचा अमरसिंह व अन्य दो आदमी राजाराम के घर आये थे उन्होने राजाराम से कहा कि हमारे पास 2 किलो सोना है। उसे गिरवी रखने आये है। उक्त बात सुनकर प्रार्थी राजाराम लखनसिंह पुत्र मूलचन्द जाति जाटव को उसके घर पर बुलाने गया उक्त सारी बात प्रार्थी राजाराम ने लखनसिंह को बताई तो लखनसिंह सारी बात सुनकर राजाराम के घर चला

आया। इसके बाद वह प्रार्थी राजाराम व लखनसिंह ने कहा कि हम सोने को गिरवी नहीं रख सकते हम तो नगद खरीद सकते है। उसके बाद में फैरम व उसके साथियों ने सोने की ईट का सौदा 4,00,000/— रूपये का राजाराम व लखनसिंह से किया इसके बाद रा. जाराम व लखनसिंह ने कहा कि उक्त ईट की जांच कराने के बाद ही हम रूपया देंगे उसके बाद फैरम व उसके साथियों ने कहा कि हम आधा रूपया पहले लेंगे जब हम आपको ईट देंगे। यह बात दिनांक 28.2.2005 को सांय 7.30 बजे की है। इसके बाद दिनांक 01.03.2005 को लखनसिंह ने 80,000/— रूपये बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेड़ला से निकलवाये व 1,000/— रूपये उसके पास थे राजाराम ने गांव के ही व्यक्ति से 1,00,000/— रूपये उधार लिये। इस प्रकार 1,81,000/— रूपये नगद साई पेटे उक्त फैरम व उसके साथियों को दिये। उक्त लोगों ने राजाराम व लखनसिंह को उक्त ईट संभला दी। उक्त घटना के गवाहान भागमल पुत्र राजाराम जाति गुर्जर व सरपंच समयसिंह जाटव भी था। इसके बाद राजाराम व लखनसिंह इसी दिन उक्त ईट की जांच करवाने के लिये वेदू पुत्र पूरण जाति सुनार निवासी खेडला के पास गये तो सुनार ने ईट की जांच की और कहा कि यह ईट तो सोने की नहीं है यह तो पीतल की है। इसके बाद हम लखनसिंह व राजाराम घर पर आये तो घर पर झमोली ही बैठा मिला। फैरम, पूनी, अमरसिंह व दो अन्य आदमी घर पर नहीं मिले। इसके बाद वह राजाराम उक्त फैरम व उसके साथियों को तलाशते रहे और बाद में हम व अन्य दो तीन आदमी फैरम गुर्जर निवासी मोरोली के घर पहुंचे वहां पर फैरम व उसका चाचा अमरसिंह व फैरम की मां पूनी, फैरम का भाई विक्रम, फैरम की पत्नि व दो अन्य साथी मिले तो राजाराम व लखनसिंह ने फैरम से कहा कि उक्त ईट सोने की नहीं है। अतः अब हमारे पैसों को वापिस दो। इतनी बात सुनकर फैरम व उसकी मां पूनी देवी व उसका चाचा अमरसिंह तथा उसका भाई विक्रम व फैरम की पत्नि व दो अन्य आदमी राजाराम व लखनसिंह को गाली गलौच करने लगे और कहा कि साले, ढेड चमारों नीचों यहां से चले जाओं नहीं तो तुमकों गोली देकर मार देगें। यहां दुबारा आने की कोशिश मत करना अन्यथा जिन्दे नहीं जाओगें और यदि तुमने केस किया तो तुमकों एवं तुम्हारे परिवार को समूल नष्ट कर देंगे। इन लोगों की धमकियों से डर कर हम लोग वापिस अपने गांव आ गये.............इत्यादि पर मु.नं. 44/2005 अंतर्गत धारा 420, 120 भा.दं.संहिता में कायम कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

03. बाद अनुसंधान अभियुक्तगण फैरम उर्फ फैरन सिंह, करतार सिंह, झमौली, विजय सिंह व अमर सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 420, 120 भा.दं.संहिता के तहत न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 120 भा.दं.संहिता के आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्वीक्षा प्रारम्भ की गई।

04. अभियुक्त अमर सिंह को धारा 420, 120 भा.दं.संहिता के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने उक्त आरोप सुन व समझकर इंकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में अभियोजन गवाहान पी.ड.01 लगायत पी.ड.12 के बयान लिये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–09 को प्रदर्शित कराया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य में डी.ड.1 लगायत डी.ड.5 प्रदर्शित कराये गये। तत्पश्चात् अभियोजन साक्ष्य दिनांक 02.05.2026 को समाप्त की।

06. बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 लिये गये। अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया तथा अपने आप को निर्दोष होना बताते हुए कथन किया कि ''मुझे झूंठा फंसाया है। मैंने कोई 420 नहीं की, मैं निर्दोष हूं।''

07. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गयी। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस कथन किया कि अभिलेख पर समस्त अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध बखूबी साबित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावें।

08. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा है कि अभियोजन का मामला सन्देह से परे साबित नहीं है। प्रकरण में किसी भी गवाह की ऐसी साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अभियुक्तगण से माल बरामद हुआ है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों के द्वारा दी गई साक्ष्य में विरोधाभास है। इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

09. उभय पक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्नांकित विचारणीय बिन्दु हैः–

(1) **कि क्या अभियुक्त अमर सिंह ने दिनांक 28.02.2005 को सांय 7.30 पी.एम. व दिनांक 01.03.2005 को किसी समय मौजा रतनपुरा में परिवादी राजाराम व लखन सिंह के साथ उनको नकली सोने की ईट असली बताकर बेचने हेतु आपराधिक षड़यंत्र किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के अधीन अपराध कारित किया ?**

(2) **कि क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी राजाराम व लखन सिंह को नकली सोने की ईट असली बताकर बेईमानीपूर्ण आशय से उसे खरीदने के लिए उत्प्रेरित किया तथा उनसे छलपूर्वक**

1,81,000/– रूपये नकद बेईमानीपूर्ण आशय से प्राप्त किये और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध कारित किया ?

(3) यदि हाँ तो, अभियुक्तगण के लिये उपयुक्त सजा क्या होगी ?"

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 12 गवाहान को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिनमें सर्वप्रथम **गवाह पी.ड.1 समय सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 28.02.2005 को रात को राजाराम उसके घर आया ओर कहा कि उसे एक लाख रूपये की आवश्यकता है। उसने कहा कि उसका समधि झमोली ने जमीन खरीदी है इसलिए एक लाख रूपये की जरूतर है। उसने कहा कि वह तुझे कल एक लाख रूपये दे देगा। उसने 01.03.05 को एक लाख की व्यवस्था की थी। बीस हजाार उसके पास थे, तीस हजार हीरालाल जाटव से लाया था। पचास हजार रूपये संतोश खेडला वाले से उधार लाया था। राजाराम का बच्चा उसके पास आया। पापाजी एक लाख रूपये मंगा रहे हें जिस पर वह राजाराम के घर गया। भागमल भी साथ में गया था। वह पहुंचा तो उसका छोटा भाई लखन सिंह भी मिला तब उसने राजाराम को एक लाख रूपये दे दिये। फिर लाखन सिंह व राजाराम ने मिलकर एक लाख इक्यासी हजार रूपये फैरम, पूनी, अमर सिंह, झमोली व दो अन्य आदमियों को दे दिये। उसने रूपये देने के बारे में पूछा तो कहा कि मुल. सोने की ईंट लेकर आये है। मुलजिमान ने पैसे के बदले सोने की ईट दे दी। रा. जाराम ने सोने को चैक कराया तो नकली होना बताया। उन्होंने अभियुक्तगण को तलाश किया तो झमोली ही उनको बैठा मिला। उन्होंने अन्य के बारे में पूछा तो खेडला जाना बताया। इस प्रकार मुलजिमान ने उनके साथ धोखाधड़ी कर रूपये ले लिये। उसका एक लाख रूपया राजाराम ने आज तक नहीं लौटाया। उसके सामने सोने की ईट जप्त की थी, फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 एवं जप्ती प्रदर्श पी–2 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। आर्टिकल–1 सोने की ईंट वही जो पुलिस ने जप्त की गई जिसमें टुकडे पाये तथा आ. र्टिकल–2 भी सोने की ईट वही है जो पुलिस ने जप्त की थी। दो टुकड़े ईट के राजाराम ने पुलिस को दिये थे। **उक्त गवाह अपनी जिरह** में कथन करता है कि सौदे में उसका कोई हिस्सा नहीं था। उसने एक लाख रूपये राजाराम को उधार दिया था जो कि रा. जाराम ने लौटाया नहीं है। उसके साथ यही धोखाधाड़ी हुई है। वह राजाराम के घर 01. 03.05 को वह एक बजे के करीब गया था। लखन सिंह व राजाराम दोनो ने फैरम को पैसे दिये थे। राजाराम ने जो पैसा उसने एक लाख दिया वह पैसे फैरम व अन्य आदमियों को दिया था। लखन ने 81,000/– रूपये बैंक से निकालकर दिये थे। राजाराम ने एक लाख रूपये फैरम के हाथ में थमाये थे। 81,000/– रूपये लखन ने राजाराम को दिये थे।

यह सौदा राजाराम, लखन दोनो ने किया था, पैसे देने के बाद ईंट को चैक कराने सुनार के पास गये थे, पहले नहीं गये थे। वहां समय सिंह, लखन, राजाराम व भागमल गये थे। सौदा उसके सामने नहीं हुआ था। सौदा राजाराम के घर हुआ था। सौदे वाली बात 1.03.05 की है। सोने की ईंट फैरम ने अपने कब्जे से निकालकर दिखायी थी। सोने की ईंट फैरम ने एक प्लास्टिक की छोटी से थैली में से निकालकर बताई थी जो साफी में लिपटी थी। सौदा चार लाख रूपये किलो के हिसाब से हुआ था। राजाराम और लखन सिंह ने मिलकर एक लाख रूपये दिये थे और सौदा राजाराम के घर हुआ था। उसके द्वारा प्रदर्श डी–1 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं लिखाया, गलत है। उसके सामने पुलिस ने आर्टिकल नहीं डाला वह, राजाराम, लखन ने पुलिस में जमा कराये चारों टुकड़ो को पहचान सकता है। जिरह में आगे एक लाख इक्यासी हजार देना कहता है। इस तथ्य को गलत बताया कि एक तिहाई हिस्से के लिए राजाराम को बाद शामिल किया हो, राजाराम के हिस्से के साठ हजार रूपये उसने दिये हो। **गवाह पी.ड.2 भागमल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सन 2005 की रतनपुरा की घटना थी जो सोने की ईंट की बात थी। फैरम, अमरसिंह, करतार विजयसिंह ने राजाराम व लखन को सोने की दो कि०ग्रा० की ईंट दी थी जिसका सौदा छः लाख रूपये के आस पास हुआ था। पहले एक लाख अस्सी हजार रूपये मुलजिमान फैरम, अमरसिंह, विजय व करतार को दिये जिनमें से एक लाख राजाराम ने, 80,000/– रूपये लखन ने दिये थे। उक्त ईंट खेडला में चैक कराने पर यह नकली सोने की ईंट निकली। मुलजिमान ने नकली सोने की ईंट देकर रा. जाराम व लखन के साथ धोखा किया था। एक लाख अस्सी हजार रूपये मुलजिमान ने प्राप्त कर लिए थे। उसके सामने दो टुकडे पीतल की धातु के जब्त किए थे जिनकी फर्द प्रदर्श पी–1 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, फर्द जब्ती पीतल की धातु के टुकडे राजाराम के पेश करने पर बनाई थी जो प्रदर्श पी–2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। आर्टिकल नंबर एक वही है जो मुलजिमान से जप्त किया था। मुलजिमान द्वारा लाखन को सोने की ईंट बताकर दी गई जिनको जप्त कर फर्द जप्ती बनाई जो प्रदर्श पी–1 है। दो टुकडे मुलजिमान द्वारा राजाराम को सोने की ईंट बताकर दिये, वे वही हैं जो न्यायालय में पेश किये हैं, वह आर्टिकल 2 है जिनको जप्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 बनाई। **उक्त गवाह अपनी जिरह** में कथन करता है कि घटना के एक माह बाद पुलिस ने उसके बयान लिये थे। घटना के दिन ही सारी बाते पुलिस को बता दी थी। झमौली उसका ससुर है। घटना के दिन झमौली उसके घर पर था। झमौली घटना के एक दिन पहले 06.02.05 को आया था। अन्य मुलजिम दूसरे दिन आये थे। वह मुलजिमों को पहले से नहीं जानता था। उनके नाम घटना के दस दिन बाद उन्हें पता चला। फैरम ने ही

मुलजिम के नाम बताये थे। नाम बताये तब लखन सिंह, राजाराम उसके साथे थे। मुलजिम 07.02.2005 को आये थे। सौदा दूसरे दिन हुआ था। सात फरवरी को हुआ था। आठ फरवरी को कुछ नहीं हुआ था। सात फरवरी को सौदा हुआ था उसके दो घंटे बाद उसको पैसे दिये थे। आगे जिरह में गवाह ने प्रदर्श डी–2 का ए से बी, सी से डी, ई से एफ व जी से एच भाग गलत बताया है। ईंट को जांच कराने में स्वयं लखन व समय सिंह के जाने का कथन करता है। राजाराम नहीं गया था। सुनार ने तीस मिनट में ईंट को चैक करके उन्हें वापस कर दी थी। ईंट के चार टुकड़े सुनार ने किये थे। ईंट थैले में रखकर लाये थे। ईंट हमें जैब से निकालकर दिखाई थी। मुलजिम ने उन्हें पेंट की जेब से ईंट निकालकर दिखाई थी। दो किलों सोने की ईंट का सौदा हुआ था। ईंट को उसने खुद तौला था। थोड़ा कम या ज्यादा वजन था, वह नहीं बता सकता। ईंट फैरम ने अपनी पेंट की जेब से निकाल कर दी थी, फिर कहा कि थैला था। छ लाख रूपये भी उन्होंने फैरम से ही तय किये थे तथा पैसे फैरम को लखन व राजाराम ने उसके सामने दिये थे। पैसे फैरम को अकेले ने दिये थे। ईंट का कोई निशान नहीं था। ईंट पर गोल मोहर थी।
गवाह पी.ड.3 राजाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 4–5 साल पहले रतनपुरा की लखन के घर की घटना है। एक सोने की ईंट उसने व लखन ने खरीदी थी जो सोने की बताकर दी थी जिसे चैक कराया तो लोहे की नकली ईंट निकली। फैरम, अमरसिंह, करतार व विजयसिंह ने मिलाकर उनको दी थी। चार लाख रूपये में सौदा किया गया। एक लाख रूपये उसने व इक्यासी हजार रूपये लखन ने दिये थे। 1,81,000/– रूपये लेकर मुलजिमान गये। उन्होंने चैक कराई तो नकली ईंट निकली। फैरम, अमरसिंह, विजयसिंह, करतार ने धोखा देकर एक लाख इक्यासी हजार रूपये हडप लिए और मांगने पर पैसे देने से मना कर दिया। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 थाने पर कराई थी एक्स स्थान पर दो जगह उसकी अंगूठा निशानी है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–4 है, एक्स स्थान पर अंगूठा निशानी है। फर्द जप्ती दो टुकडे पीतल धातु के उसके सामने जप्त कर फर्द जप्ती बनाई जो प्रदर्श पी–2 है, एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। आर्टिकल नंबर–दो वही ईंट है जो फैरम वगैरह ने उन्हें दी थी। वह मुल. जिमान को जानता पहचानता है। **उक्त गवाह अपनी जिरह** में कथन करता है कि रिपोर्ट में क्या लिखा था उसे पता नहीं। वह अनपढ़ है उसे नहीं पता कि उसने रिपोर्ट कब कराई थी। शायद 10–5 दिन पीछे कराई होगी। जब उन्होंने गांव में जाकर पंचायत जोड़ी तब मुलजिमान का नाम पता चला था। पंचायत में कौन–कौने थे, नहीं पता। पुलिस में उसके कितनी बार बयान हुए ध्यान नहीं है। घटना के दिन पुलिस को सूचना नहीं थी, लखन ने दी हो तो पता नहीं। आगे कथन किया कि मुलजिमान के साथ झमौली व पुनी नहीं थे।

उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–3 का ए से बी व जी से एच भाग गलत है व सी से डी, ई से एफ भाग सही है। पुलिस बयान प्रदर्श डी–4 का ए से बी, सी से डी व ई से एफ, जी से एच व आई से जे भाग भी गलत है। आगे कथन किया कि मुलजिम सबसे पहले लखन के घर आये थे और सौदा लखन से हुआ था। ईंट भी लखन ने ही रख ली। उसे उसी दिन सौदे बाबत् लखन ने बता दिया था। वह सुनार के वहां ईंट चैक कराने नहीं गया। आगे कथन करता है कि उन दोनो ही रूपये एक साथ दिये थे। उसे नहीं पता कि ईंट सुनार ने चैक करके किसको दी। उसे नहीं पता कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 व बयान मुलजिम करतार व विजय के नाम बताये या नहीं। पैसे उन्होंने फैरम व अमर सिंह को दिये थे। पैसे उसने व लखन ने शामिल करके दिये थे। पैसे फैरम के हाथ में दिये थे। **गवाह पी.ड.4 लखन सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 28.02.2005 की 7.30 पी०एम० की रतनपुरा में राजाराम के मकान की घटना है। राजाराम ने उससे घर आकर कहा कि उसके रिश्तेदार उसके घर आए हैं जो सोने की ईंट बेचना चाहते हैं तो वह उनके घर चला गया। वहां पर फैरम, अमरसिंह, विजयसिंह व करतारसिंह, झमोली एवं एक महिला जो फैरम की मां थी, ने कहा कि सोने की ईंट है, इसे गिरवी रख लो। राजाराम व उसने ईंट को चैक कराने की कहा और चैक कराकर खरीदने की कहा तो उन्होंने कहा कि उनका चार लाख रूपये में तय हो गया है। फैरम व अमरसिंह ने पहले आधे पैसे लेने की कहा फिर उन्हें ईंट देंगे। एक लाख रूपये राजाराम ने व इक्यासी हजार रूपये उसने इस प्रकार एक लाख इक्यासी हजार रूपये उन्होंने फैरम वगैरह को दे दिये थे। फिर उन्होंने उन्हें सोने की ईंट दे दी। सौदा एक किलो सोने का हुआ था, ईंट दो किलोग्राम की थी। वे सुनार के पास गये और चैक कराई तो नकली बताई। वह व राजाराम घर आ गये वहां झमोली बैठा मिला व अन्य चले गये। उन्होंने झमोली से पैसे वापस देने को कहा तब कल गांव जाकर पैसे देने की बात कही। गांव गये तो नहीं मिले। फिर 24.03.2005 को फैरम, अमरसिंह, करतारसिंह वगैरह मिले तो उन्होंने कहा कि वे पैसे वापिस नहीं करेंगे। गाली गलौच की। वहां से आकर उन्होंने सलेमपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अमरसिंह वगैरह ने उनके साथ धोखाधडी करके एक लाख इक्यासी हजार रूपये हडप लिए। रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 दर्ज कराई। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–4 है। फर्द जप्ती पीतल की ईंट प्रदर्श पी–1 है। जो ईंट उन्हें सोने की बताकर कर दी थी, वह आज न्यायालय में पेश की है, वही ईंट है जो उसके सामने जप्त की थी जो आर्टिकल नंबर एक है। अस्सी हजार रूपये बी० ओ० बी० बुक प्रदर्श पी–5 है, विड्रो राशि की रसीद प्रदर्श पी–6 है। **उक्त गवाह अपनी जिरह** में कथन करता है कि रिपोर्ट उसने थानेदार जी को लिखकर दी थी। मुलजिमानों में से झमौली को पहले से जानता था। औरों को नहीं जानता था। हमें नाम

झमौली ने बताये थे। सौदा होने से पहले ही अमर सिंह व फैरम के नाम बताये थे। झमौली ने मुलजिमान के नाम राजाराम को भी बता दिये थे। सौदे में समय सिंह शामिल नहीं था। प्रदर्श डी–5 पुलिस बयान में एक किलो सोने के सौदे वाली बात बताई थी क्यों नहीं लिखी उसे नहीं पता। एक किलो आप रख लेना व एक किलो वापस दे देना। उसने पु. लिस बयान में विजय सिंह व करतार के नाम नहीं लिखाये थे, अजखुद कहा कि उक्त नाम पुलिस ने बताये थे। आगे कथन किया कि वेदो सुनार के यहां वह व राजाराम गये थे। फिर कहा कि भागमल भी गया था। तीनो एक मोटरसाईकिल पर गये थे। लगभग आधा किलों के चार टुकड़े किये थे, दो टुकड़े उसे व दो टुकड़े राजाराम को वापस दे दिये, अजखुद कहा कि समय सिंह दूसरी गाड़ी से गया था। उसने इक्यासी हजार रूपये राजाराम को दिये थे जो एक लाख मिलाकर राजाराम ने दिये थे। मुलजिम फैरम वगैरह को दे दिये। उसने नोट राजाराम को दे दिये थे। सौदा राजाराम के घर बैठकर हुआ था। राजाराम के घर पर उसके परिवार वाले ही थे। ईंट को जैब में रखकर लाये थे, कमीज की जेब में ईंट रखकर लाये थे। ईंट उन दोनो ने संभाली थी इस तथ्य को गलत बताया कि समय सिंह सौदे में शामिल हो। सुनार ने ईंट को चैक कर दो–तीन घंटे में लौटाया था। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी, क्योंकि झमौली ने पैसे वापस करने का आश्वासन दिया था। प्रदर्श पी–3 में झमौली द्वारा पैसे वापस करने वाली बात नहीं लिखाई। ये लोग मुलजिमान के गांव 24.03.05 को गये थे। उसे यह ध्यान नहीं कि यह बात पुलिस को लिखाई थी या नहीं। पुलिस बयान प्रदर्श डी–5 का ए से बी भाग गलत बताया। आगे कथन किया कि घटना एक दिन ही घटी थी, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ था। **गवाह पी.ड. 5 हीरालाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने, समय सिंह ने घरेलू कार्य हेतु तीस हजार रूपये उधार लिये थे। दिनांक 01.03.2005 को समय सिंह उसके घर आया और उससे तुरंत रूपये देने के लिए कहा और कहा कि उसे जरूरी काम है तो उसने उसको तीस हजार रूपये दे दिये। **उक्त गवाह अपनी जिरह** में कथन करता है कि समय सिंह रूपयों को जमीन खरीदने के लिए ले गया हो तो उसे पता नहीं है। उसने इन रूपयों का क्या किया यह भी उसे पता नहीं। **गवाह पी.ड.6 खैम सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान दिवस से करीब आठ साल पहले रामचन्द्र एस.आई. द्वारा मुलजिम फैरम को उसके सामने मुकदमा संख्या 44/05 थाना सलेमपुर में गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी तैयार की जो प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह अपनी जिरह** में कथन करता है कि जिस मुलजम को उसके सामने गिरफ्तार किया उसकी लम्बाई साढ़े पांच फुट गठीला बदन था। उसने मुलजिम के पहचान चिन्ह नही देखा। उसने मुलजिम को देखा था। मुलजिम की जामा तलाशी उसके सामने

उसने स्वयं ने ली थी। **गवाह पी.ड.7 वेदप्रकाश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.03.2005 को दिन के चार पांच बजे उसकी दुकान पर लखन, समयसिंह, भागमल व राजाराम मोटरसाईकिलों पर आये थे। जिन्होंने ईट के आकार में ढली एक सोने की धातु जैसी ईंट उसे दी जिसके उसके द्वारा चार टुकडे किये जिसे तेजाब में डालकर देखा तो उस पर से सोने जैसी चमक उतर गई और पीतल जैसी हो गई, वह सोने की नहीं थी। उसने जांच कर चार टुकडे उक्त व्यक्तियों को ही दे दिये। **उक्त गवाह अपनी जिरह** में कथन करता है कि उसने चारों टुकड़े लखन व समय सिंह को दिये थे। उसे पर ध्यान नहीं कि टुकड़े लखन ने उठाये या समय सिंह ने। ईंटनुमा जो वस्तु थी उसका वजन लगभग 800 ग्राम के करीब था। चारों टुकड़ो का वजन नहीं था कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि उनकी तोल नहीं की। यह सही हे कि कोई भी वस्तु तेजाब में डालने से काली पड़ जाती है लेकिन सोना काला नहीं पड़ता। वह भागमल व राजाराम को जानता है। उससे लखन और समय सिंह ने ईंट को चैक करने को कहा था तब उसने चार टुकड़े करके चैक किया था। उसने आधा घंटे में चैक करके वापसि दे दिया था। चमक उतरने के बाद वह धातु पीतल जैसे दिखाई दे रही थी। यह सही है कि चारों टुकड़ो का वजन करीब 800 ग्राम के लगभग होगा उसकी तोल नहीं की थी। उसे ईंट किसने सौंपी उसे ध्यान नहीं लेकिन शायद लखन ने दी थी। ईंट को जेब में रखकर लखन लाया था। **गवाह पी.ड.8 द्वारकाप्रसाद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान दिवस से करीब आठ साल पहले खेडला स्थित उसकी खाद बीज की दुकान पर राजाराम ने 6–7 महीने पहले अपनी सरसों बेची थी जिसके चालीस हजार रूपये दिये थे। राजाराम ने चालीस हजार रूपये समयसिंह को दिये थे। समयसिंह की बही से चालीस हजार रूपये उसके द्वारा जमा किये गये थे और खाता भागमल, राजाराम के नाम लिखा था। साठ हजार रूपये भागमल के नाम से खाता लिखा हुआ था। **उक्त गवाह अपनी जिरह** में कथन करता है कि यह सही है कि खाता भागमल के नाम से लिखा हुआ नहीं था रा. जाराम के नाम से था। प्रदर्श डी–2 में ए से बी भाग गलत है। उसने प्रदर्श डी–2 ए से बी भाग पुलिस को नहीं लिखाया। उससे समय सिंह, राजाराम ने रूपये किसलिए चाहिए कोई बातचीत नहीं की। उसने तो खाते में केवल रूपये जमा किये थे। **गवाह पी.ड.9 विजय सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान दिवस से करीब 8–9 साल पहले करतार सिंह को पुलिस थाना सलेमपुर द्वारा गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी बनाई जो प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह अपनी जिरह** में कथन करता है कि सुबह के 10–11 बजे की बात है। उसके हस्ताक्षर थाने पर ही करवाये थे। **गवाह पी.ड.10 विजेन्द्र** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि फर्द

बरामदगी प्रदर्श पी–7 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–8 पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह अधिवक्ता अभियुक्त जिरह** में कथन करता है कि यह सही हे कि प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–8 पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर कराये थे। वह मुलजिम फैरम को शक्ल व नाम से नहीं जानता। **गवाह पी.ड.11 भगवान सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 30.05.2005 को थाना सलेमपुर पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या 44/2005 धारा 420, 120बी भा.दं.संहिता में रामचरण एस.आई. ने मुलजिम फैरम उर्फ फैरन सिंह को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी तैयार की जो प्रदर्श पी–5 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **गवाह पी.ड.12 हरिप्रसाद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पुलिस ने करतार सिंह को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी तैयार की जो प्रदर्श पी–6 जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

11. उक्त तर्क एवं साक्ष्य का मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में कुल 12 गवाह परीक्षित हुए है, जिनमें पांच गवाह महत्वपूर्ण गवाह है जिनके बयानों का विवेचन करें तो सर्वप्रथम प्रकरण के परिवादीगण रा. जाराम व लखन सिंह है जो कि क्रमशः पी.ड.3 व पी.ड.4 के रूप में परीक्षित हुए है। उनका अवलोकन करते है तो जाहिर होता है कि गवाह पी.ड.3 राजाराम अपनी मुख्य परीक्षा में ईंट के चैक कराये जाने पर लोहे की ईंट निकलना बताता है। सौदा चार लाख रूपये में होना कथन किया, वही जिरह में घटना की रिपोर्ट 10–5 दिन पीछे कराये जाना, मुलजिमान के नाम का पता गांव में पंचायत जोडे जाने पर पता चलने का कथन करता है, जबकि अन्य परिवादी लखन, राजाराम के रिश्तेदार झमौली द्वारा सौदे से पूर्व ही मुलजिमान के नाम राजाराम व उसे बता देने का अपनी जिरह में कथन करता है। प्रकरण में पंचायत जोडे जाने वाली बात किसी अन्य गवाह ने नहीं की है। गवाह पी.ड.3 एफ.आई. आर. के तथ्यों के विपरीत अपनी जिरह में कहता है कि मुलजिमान सबसे पहले लखन के घर आये थे। सौदा लखन के घर हुआ था। ईंट भी लखन ने रख ली थी आदि। वह अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–3 व प्रदर्श डी–4 के कुछ भाग को गलत व कुछ भाग को सही बताता है। जिसे प्रदर्श डी–3 में गवाह ने अपने तितम्बा बयान 24.09.2005 में कथन करता है कि लखन ने सोना मंगवाया था, यहां वह सोना चैक करवाने के बाद 1,81,000/– रूपये देने का कथन करता है। पूरी ईंट ही लखन के पास बताई। इसके बाद राजाराम को शामिल करना बताया है एक तिहाई हिस्से के लिए व एक तिहाई हिस्से समय सिंह के लिए। समय सिंह हिस्सेदार इसलिए नहीं बना क्योंकि उसे व भागमल को गवाह बनाया था। प्रदर्श डी–3 के कथन कि सोने का सौदा हो जाने पर सोने का टुकड़ा

लेकर समय सिंह, लखन व भागमल वेदो सुनार के पास गये थे व चैक करवाने के बाद एक 1,81,000/– रूपये दिये, इस कथन को सही बताया है। जबकि एफआईआर व अन्य गवाहों के अनुसार सुनार के वहां ईंट चैक कराने से पूर्व ही 1,81,000/– रूपये दिये जाने का कथन किया है। राजाराम ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–4 के संबंध में अपनी जिरह में इन तथ्यों को गलत बताया कि दिनांक 28.02.05 की शाम पांच बजे फैरम, पुनी, अमर सिंह व दो अन्य व्यक्ति और उसका रिश्तेदार झमौली आये थे, जबकि एफआईआर के शुरूआती तथ्य भी यही है। आगे इन तथ्यों को वह, फैरम, अमर सिंह व पुनी को पहले से जानता था, इस तथ्य को भी न्यायालय के समक्ष गलत बताया। भाग ई से एफ यह कि फैरम व अमर सिंह ने उससे कहा कि उन्होंने जमीन खरीदी है, उनके पास दो किलो सोने की ईंट है जिसे वह रख ले अथवा किसी के पास गिरवी रख ले और दूसरे दिन सुबह लखन सिंह के घर जाकर उसने लखन सिंह के सोने की ईंट बाबत बात पूरी हो, यह तथ्य भी गलत बताया। इसके बाद प्रकरण का परिवादी एफआईआर व अपने पुलिस बयान के विपरीत न्यायालय के समक्ष बयान देता है व स्वयं के द्वारा ही दी गई रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद नहीं करता है। एफआईआर के अनुसार सौदा उसके घर होना बताया गया है जबकि परिवादी लखन, राजाराम के घर सौदा होने का कथन करता है। पी.ड.4 लखन अपनी जिरह में झमौली मुलजिमान के नाम बताना बताता है। सौदे में समय सिंह का नाम शामिल नहीं होना कहता है। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–5 में विजय, करतार का नाम नहीं लिखाया जाने व पुलिस के द्वारा बताये जाने का कथन करता है। यहां राजाराम कहता है कि वह सुनार के पास नहीं गया था, वही गवाह पी.ड.4 राजाराम का सुनार के पास जाना बताता है। गवाह पी.ड.06 खैम सिंह व पी.ड.11 भगवान सिंह अभियुक्त फैरम की गिरफ्तारी के गवाह है व गवाह पी.ड.09 विजय सिंह व पी.ड.12 हरिप्रसाद अभियुक्त करतार सिंह की गिरफ्तारी के गवाह है, जिनकी हद तक प्रकरण का निस्तारण पूर्व में ही हो चुका है। इसके अतिरिक्त मुताबिक फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 व पी–2 पीतल की धातु के चार टुकड़े जिनका वजन कुल 2 किलो अंकित है तथा अभियोजन गवाहान द्वारा भी ईंट का कुल वजन दो किलो बताते हैं, वही अभियोजन गवाह पी.ड.7 वेदप्रकाश जिसे अभियोजन द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा माल पीतल की ईंट के टुकडे की जांच करना बताता है। उक्त गवाह अपनी जिरह में चारों ईंटनुमा टुकड़ो का कुल वजन 800 ग्राम होना बताता है जिससे भी अभियोजन कहानी सन्देहास्पद हो जाती है। इसके अलावा प्रकरण में झमोली का कही कोई किरदार नहीं था, फिर भी उसे आरोपी बनाया गया। पूरे प्रकरण में सम्पूर्ण घटना सभी फैरम द्वारा कारित किया जाना बताई है, अन्य का वहां उपस्थित होना ही कहा है। मात्र गवाह पी.ड.3 राजाराम ने जिरह में फैरम व अमर सिंह को पैसे देना कहा है, परन्तु

वहां उपस्थित अन्य किसी भी चश्मदीद गवाह ने अभियुक्त अमर सिंह का नाम नहीं बताया है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अनुसंधान अधिकारी को भी साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया है, जिससे भी अभियोजन कहानी की पूर्णतः ताईद नहीं होती है। गवाह पी.ड.6 खैम सिंह, पी.ड.9 विजय सिंह, पी.ड.11 भगवान सिंह व पी.ड.12 हरिप्रसाद फर्द गिरफ्तारी के गवाह है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त अभियोजन गवाहान की साक्ष्य में सारभूत विरोधाभास दर्शित होता है। जिससे अभियोजन पक्ष अभियुक्त अमर सिंह के विरूद्ध धारा 420, 120 बी भा.दं.संहिता का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में विफल रहा है।

12. अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये गवाहान अभियोजन घटना को सन्देह से परे सा. बित करने में असफल रहे है। अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय हाजा की राय में अभियुक्त अमर सिंह को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराध धारा 420, 120बी भा.दं.संहिता के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>—: आदेश :—</u>

13. अभियुक्त अमर सिंह पुत्र सुरजन गुर्जर, समस्त निवासी मौरोली पुलिस थाना बयाना, जिला भरतपुर को धारा 420, 120 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है जिसकी उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत नियमित जमानत मुचलका निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा पीतल की धातू के टुकड़ों को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निस्तारण किया जावें व प्रकरण में अभियुक्त फैरन सिंह उर्फ फैरम से जप्तशुदा राशि 4,900/— रूपये उसकी मृत्यु हो जाने से उक्त राशि राजकोष में जमा करायी जावें।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा

14. यह निर्णय आज दिनांक 22.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा